# <u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-99/2020/भीलवाड़ा कैम्प

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री मांगु माली उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री मांगु माली उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राज0
3. श्री प्रभू लाल पुत्र श्री मांगु माली उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राज0

. —अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री बंशी लाल पुत्र श्री बरदूदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्रीमान तहसीलदार सा0 तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राज0

—प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा राज0 प्रकरण संख्या 05/2016 आ0नि0 निर्णय दिनांक 09.05.2016 बमामला प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17ए राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचित परियोजना) सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 बाबत निरस्त करने आवंटन पत्रावली संख्या 76/99 आवंटन दिनांक 28.10.1999

उपस्थित अभिभाषकः— श्री आर0सी0सारस्वत(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः—श्री एस0एल0 वेद

<u>निर्णय</u> दिनांकः—03.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17ए राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचिंत परियोजना) भूमि आवंटन बाबत पत्रावली संख्या 76/99 आवंटन दिनांक 28.10.1999 द्वारा एस0डी0ओ0 माण्डल में रेस्पोडेंट के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन को निरस्त कराने हेतु जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंण्ड बंशीलाल पिता बरदूदास वैष्णव निवासी माण्डल को ग्राम माण्डल के खसरा नम्बर 4386 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 4368 रकबा 3 बिस्वा भूमि भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। अपीलांट के अनुसार विहित नियमों के नियम 16 के तहत आवंटित भूमि के लिए माप निर्धारित किया गया है। जिसके तहत स्वतंत्र रूप से 2 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र की भूमि आवंटन की जा सकती है। इससे कम के छोटे टुकड़े का आवंटन पड़ौस में स्थित खेत के काश्तकार को बाजार मूल्य पर आवंटन किये जाने के प्रावधान है। मगर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भू—आवंटन करने में उक्त आदेशात्मक प्रावधान को नजरअंदाज करके भूमि का आवंटन किया जो निरस्त योग्य है। क्योकि विवादित आराजीयात के पास रेस्पोडेंट की कोई खातेदारी [illegible] नहीं है। रेस्पोडेंट भू—आवंटन का पात्र नहीं था। रेस्पोडेंट का आवंटित भूमि पर कब्जा [illegible] रहा है। उक्त आराजी में ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा नरेगा योजना [illegible] आकार करीब 3 [illegible] भूमि सड़क के लिए उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकार भूमि [illegible]र्वजनिक प्रयोजनार्थ [illegible] में लायी जा रही है। इसलिए आवंटन को निरस्त किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा 05/2016 के रूप में दर्ज किया। रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये। रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में भी विवादित भूमियों के संबंध में तहसीलदार माण्डल ने आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण संख्या 491/2006 अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में दर्ज करवाया था। जिस पर बाद सुनवाई इनके द्वारा रेस्पोडेंट को भूमिहीन कृषक मानते हुए आवंटन दिनांक 28.10.1999 को विधि सम्मत बताया तथा दिनांक 23.08.2007 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अतः वर्तमान प्रस्तुत प्रकरण को पुनः 11 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार निर्णय हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वाद बहस जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र को सही मानते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। जिला कलक्टर के उक्त निर्णय दिनांक 09.05.2016 से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 10.06.2016 को प्रस्तुत की गई थी। जिसे प्रकरण संख्या 132/2016 के रूप में दर्ज किया गया था। न्यायालय आरएए के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवा ली गई थी। उक्त पत्रावली बहस पर नियत थी। दिनांक 17.12.2019 को न्यायालय आरएए भीलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी। उक्त अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 26.02.2020 को 99/2020 नम्बर से दर्ज की गई है।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे तथा वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि वर्तमान प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन–1968 के नियम 17ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। हम शिकायतकर्ता है तथा विवादित भूमियों का गलत आवंटन होने से आये है। अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2007 से तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण बाबत को निरस्त किया गया था तथा आवंटन बहाल रखा गया था। तहसीलदार माण्डल ने उक्त प्रार्थना पत्र में (491/2006) अलॉटी को भूमिहीन नही बताया गया था। हमने नियम 16 के प्रावधान की अनदेखी बाबत कथन किये है। मगर रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी को सही मानते हुए बिना मेरिट पर निर्णय किये हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा खारिज कर दिया गया। विवादित भूमि के पास रेस्पोडेंट की कोई खातेदारी भूमि नहीं थी। 2 बीघा से कम भूमि को छोटी पट्टी माना जायेगा। अपील स्वीकार की जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 09.05.2016 का है। तत्समय अपीलांट द्वारा दिनांक 10.06.2016 को न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर स्थित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रोजेक्ट) राजकीय भूमि आवंटन नियम 1968 नियम 16 एवं 17ए का अवलोकन किया गया। नियम 17ए के अनुसार जिला कलक्टर इन नियमों के तहत किये गये आवंटन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कर सकता है। यदि ऐसा आवंटन फ्रॉड या मिसरिप्रेजेन्टेशन या नियम के विरूद्ध प्राप्त किया गया हो या शर्तों की पालना आवंटी द्वारा नही की गई हों। नियम 16 में स्केल ऑफ अलॉटमेंट के बारे में बताया गया है जिसके उपनियम 4ए के अनुसार 2 एकड़ या उससे कम भूमि उस व्यक्ति को आवंटित की जायेगी। जिसका खेत अटेच हो तथा उक्त भूमि बाजार मूल्य पर दी जायेगी। मगर ऐसी भूमि के चारों ओर चारागाह भूमि, शमसान भूमि,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:11 IST
Reason: SelfAttested

खेल मैदान या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि ना हों। ऐसे काश्तकार के पास पूर्व में धारित भूमि और आवंटन से प्राप्त भूमि दोनो का जोड़  सिलिंग ऐरिया से ज्यादा ना हों तथा नियम 4सी में यह लिखा है कि यदि ऐसी भूमि के लिए एक से ज्यादा खातेदार प्रार्थना पत्र लगाते है तो उनके मध्य लोटरी से आवंटन किया जायेगा। नियम 10 में आवंटन की प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार सर्वप्रथम विस्थापित कृषको को तथा बाद में भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन आवंटित की जायेगी।

अपीलांट किस हैसियत से शिकायत कर रहा है यह स्पष्ट नहीं है। विवादित भूमि के पास उसका कोई खेत है या नहीं यह उसके द्वारा नहीं बताया गया है। सिर्फ यह कहा जा रहा है कि आवंटन के दौरान नियम 16 की पालना नही की गई है। अपीलांटगण द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत करना नहीं पाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय किया है। अपीलांटगण को स्वयं को व्यथित पक्षकार सिद्ध करना होगा जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। धारा 96 सीपीसी के प्रावधान अपीलांटगण के लिए बाध्यकारी है। रेस्पोडेंट को आवंटन दिनांक 28.10.1999 को ग्राम माण्डल में किया गया था तथा दिनांक 24.08.2000 को आवंटनशुदा भूमि रेस्पोडेंट को सुपुर्द की गई थी। तहसीलदार माण्डल द्वारा भी प्रकरण संख्या 491/2006 बाज दायर 19/2007 के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां रेस्पोडेंट के विरूद्ध आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मगर रेस्पोडेंट को भूमिहीन कृषक मानते हुए आवंटन को सही माना गया। उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2007 को दिया गया था। बहुत पुराने भूमि आवंटन को निरस्त नही करने के संबंध में कई न्यायिक दृष्टांत न्यायालयों द्वारा दिये गये है। जिनके मुताबिक बहुत पुराने भूमि आवंटन को निरस्त नहीं किया जायें। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 09.06.2016 का अवलोकन किया गया। उन्होने ने पूर्व निर्णित प्रकरण द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 23.08.2007 एवं उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में आराजी और रेस्पोडेंट को एकसमान मानते हुए रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया था तथा अपील को ही खारिज कर दिया गया था।

धारा 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों  के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है। जो ऐसे पश्चात प्रतिवाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है। विचारण करने लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है अर्थात पूर्व न्याय का सिद्धांत तब लागू होगा जबकि वाद विषय समान हो, पक्षकार दोनो वादो में एक ही हों, वादवस्तु अथवा स्वत्व में समानता हो, निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित हो, निर्णय की अंतिमता हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में पक्षकार तहसीलदार और रेस्पोडेंट थे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार वर्तमान अपीलांट तथा रेस्पोडेंट है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की बात को आंशिक रूप से उचित माना जायेगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी 11 के प्रावधान गलत रूप से लागू माने गये। हालांकि दोनो प्रकरणों में आवंटी निरस्तीकरण बाबत बात उठायी गयी है तथा विवाद बिन्दु अलग–अलग होने से धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही माने जाते है।

न्यायालय प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:11 IST
Reason: SelfAttested

नियम 16(4ए) के अनुसार ऐसी छोटी पट्टी आवंटन के साथ यह शर्त है कि इसके चारों ओर जो भूमि है वह चारागाह, शमसान भूमि या खेल मैदान भूमि या सार्वजनिक महत्व की भूमि ना हों। रेस्पोडेंट द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डल के समक्ष प्रस्तुत 183 आरटीए वादपत्र के क्रम में जिसमें ग्राम पंचायत माण्डल तथा अपीलांट को प्रतिवादी बनाया गया था। उक्त वादपत्र के कलम नम्बर 2 में यह अंकित है कि मौजा माण्डल की आराजी नम्बर 4390 एवं 4333 बिलानाम आराजी गैर काबिलकास्त भूमि है जो रास्ते की भूमि है। वर्तमान रेस्पोडेंट(वादी) की आराजी नम्बर 4386 उक्त रास्ते की आराजी नम्बर 4390 की सीमा से छटी हुई है कलम नम्बर 3 में यह अंकित किया है। तथा **ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा नरेगा योजना के तहत दिनांक 15 फरवरी 2011 को रास्ते की आराजी नम्बर 4390 की निशान देही कराये बिना सड़क निर्माण शुरू किया था और वादी की आराजी नम्बर 4386 की उत्तरी कोणे की 3 बिस्वा भूमि के बिना विधि पूर्ण अधिकार के ग्रेवल सड़क बनाकर अतिक्रमण किया था और इसी समय प्रतिवादी ने भी इसी खसरा नम्बर की उत्तरी कोणे की 2 बिस्वा भूमि पर बिना अधिकार के कब्जा कर कांटे की बाड़ लगायी थी।** प्रकरण में मुख्य विवाद का विषय यही है कि रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटन करते समय नियम 16 का ध्यान नहीं रखा गया। चूंकि आवंटित भूमि 4386 और प्रतिवादी के खातेदारी 4366 के मध्य रास्ते का खसरा नम्बर 4390 होने से नियम 16(4ए) के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन कमिटी द्वारा सही रूप से नियम 16(4ए) की पालना करते हुए छोटी पट्टी के रूप में आवंटन न करके स्वतंत्र रूप से आवंटन किया है।

समग्र विवेचन के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगाये बिना अपील प्रस्तुत की गई है। जिसकी पालना किया जाना मेण्डेटरी था। साथ ही अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य अतिक्रमण को लेकर विवाद है। विवादित खसरा नम्बर 4386 और अपीलांट के खसरा नम्बर 4366 के मध्य रास्ते का खसरा नम्बर 4390 है। नियम 16(4ए) की मंशा अनुसार विवादित भूमि को छोटी पट्टी के रूप में नहीं माना जाकर स्वतंत्र रूप से भूमि का आवंटन किया गया। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 5/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उप निवेशन(मध्यम एवं लघू सिचिंत परियोजना) सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के अन्तर्गत भू–आवंटन निरस्त कराने बाबत बमामले पत्रावली संख्या 76/99 भू–आवंटन दिनांक 28.10.1999 निर्णय दिनांक 09.05.2016 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(गजेन्द्र सिंह राठौड़)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त**
**अजमेर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:11 IST
Reason: SelfAttested